पत्रांक–3प/तकनीकी सहायक–लेखापाल–20–05/2023/ 886 स्था/पं०रा०

ई–मेल/स्पीड पोस्ट

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं ह०), बिहार
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 23/3/2026

विषयः– **स्व० दीपक कुमार, मृत लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक, प्रखंड–तेतरिया, जिला–पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) की मृत्यु के उपरांत सामाजिक सुरक्षा के रूप में मृतक के आश्रित को ₹4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः– स्वीकृत।

2. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) के द्वारा स्व० दीपक कुमार, मृत लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक, प्रखंड–तेतरिया, जिला–पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) की सेवावधि में दिनांक–02.08.2024 को कार्यालय से वापस घर जाने के क्रम में राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या–28 स्थान काली मंदिर कॉटी के पास अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। फलस्वरूप उनके आश्रित को ₹4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान राशि स्वीकृत की गयी है। साथ ही जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) के पत्रांक–82, दिनांक–06.02.2026 के माध्यम से इतनी ही राशि का आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

3. अतः पंचायती राज विभाग, बिहार के आदेश संख्या–207/पं०रा०–सह–पठित ज्ञापांक–4390, दिनांक–24.03.2025 और जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में स्व० दीपक कुमार, लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक, प्रखंड–तेतरिया, जिला–पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) के आश्रित को कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्वीकृत की जाती है।

4. इस स्वीकृत राशि की निकासी "मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–001–निदेशन एवं प्रशासन–उपशीर्ष–0101–मुख्यालय पंचायत स्थापना मद अंतर्गत विषय शीर्ष–3701–अनुग्रह अनुदान"। इसका विपत्र कोड–16–2515000010101 एवं माँग संख्या–16 हैं।

क्र०पृ०उ०........

5. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) होंगे, जो राशि की निकासी जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) से लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक के आश्रित के खाते में जाचोंपरांत CFMS के माध्यम से अंतरित करेंगे।

6. स्वीकृत राशि की निकासी जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) से वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। राशि की निकासी के लिए विभाग द्वारा अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका–3प/तकनीकी सहायक–लेखापाल–20–05/2023 में पृष्ठ संख्या–17/टि० पर दिनांक–11/03/2026 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका–3प/तकनीकी सहायक–लेखापाल–20–05/2023 के पृष्ठ–17/टि० पर दिनांक–17/03/2026 को प्राप्त है।

10. इस स्वीकृत राशि का नियमानुसार निर्धारित समय–सीमा के अंदर उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित करने का दायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा।

11. राशि की स्वीकृति यह मानकर दी जा रही है कि जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी) के द्वारा स्व० दीपक कुमार, लेखापाल–सह–आई०टी० सहायक की मृत्यु एवं उनसे संबंधित सभी अभिलेखों की पूर्ण जाँच अपने स्तर से करा ली गयी है।

12. स्वीकृत्यादेश के सभी पृष्ठ पर अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के द्वारा हस्ताक्षरित है।

विश्वासभाजन

20/3/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः–3प/तकनीकी सहायक–लेखापाल–20–05/2023/884(9)/पं०रा०पटना,दिनांक–23/3/2026

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/26

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

कृ०पृ०उ०........

ज्ञापांकः—3प / तकनीकी सहायक—लेखापाल—20—05 / 2023 / 88(स्था) / पं०रा०पटना, दिनांक—23 / 3 / 2026

प्रतिलिपिः—अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः—3प / तकनीकी सहायक—लेखापाल—20—05 / 2023 / 88(स्था) / पं०रा०पटना, दिनांक—23 / 3 / 2026

प्रतिलिपिः—प्रभारी पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी—05 (बजट) / आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रशाखा—05 के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि संबंधित कर्मी को पूर्व में विभाग से अनुग्रह अनुदान राशि आवंटित नहीं की गयी है।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांकः—3प / तकनीकी सहायक—लेखापाल—20—05 / 2023 / 88(स्था) / पं०रा०पटना, दिनांक—23 / 3 / 2026

प्रतिलिपिः—आप्त सचिव, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(नजर हुसैन)
अपर सचिव